an>

Title: Need to address the problem of e-waste in the country.

श्री विष्Âणु दयाल राम (पलामू) : महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अतिमहत्वपूर्ण समस्या की ओर आकर्Âिषत करना चाहता हूं।

महोदय, देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन एसोचैम ने आगाह किया है कि वÂर्ष 2018 तक भारत में हर साल 30 लाख मीट्रिक टन कचरे का उत्पादन होगा। इसके सुरक्षित उत्पादन के लिए यदि अभी से कोई व्यवस्था नहीं की गयी तो बाद में इसकी व्यवस्था कर पाने में बहुत कठिनाइयां आएंगी। देश में लगभग 18.5 लाख मीट्रिक टन कचरा निकलता है और इसमें दस साल से लेकर 15 साल तक बच्चे इस कचरे को चुनने और तत्व निकालने में शामिल होते हैं। उनकी जिंदगी यूं ही व्यतीत हो जाती है और वे कई प्रकार की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। इतना ही नहीं इस कचरे से होने वाले नुकसान का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि लगभग 38 प्रकार के रसायनिक तत्व इसमें शामिल होते हैं और बहुत सारे रसायनिक तत्व तो ऐसे होते हैं जिनका रिसाइकलिंग नहीं किया जा सकता है। जिसका प्रभाव मिट्टी की गुणवत्ता से लेकर के हमारे शरीर पर भी पड़ता है। यद्यपि भारत सरकार ने इस संबंध में वÂर्ष 2012 में ई-कचरा प्रबंधन और संचालन नियम, 2011 लागू किया था, लेकिन इसका प्रभावकारी ढंग से ईम्पलीमेंटेशन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से यह समस्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय पर्यावरण, वन विभाग और जलवायु परिवर्तन मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि ई-कचरे के निबटारे की लापरवाही को गम्भीर अपराध की श्रेणी में रखा जाए तथा उसके निÂपादन की जिम्मेदारी उसी कम्पनी को दी जाए।

HON. CHAIRPERSON:

Shri Bhairon Prasad Mishra,

Shri Sharad Tripathi,

Kunwar Pushpendra Singh Chandel, are permitted to associate with the issue raised by Shri Vishnu Dayal Ram.